

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

शिक्षाकीय पदों का विज्ञापन

क्रमांक/स्था/2022/2274

जबलपुर, दिनांक 31.03.2022

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 73-14/2017/38-3, भोपाल दिनांक 23/01/2020 की कंडिका चार के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 75/14/17/38-03, भोपाल, दिनांक 02/11/2017 तथा पत्र क्रमांक 2078-1408/2013/38-3, भोपाल दिनांक 11/12/2014 के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में निम्नानुसार अनारक्षित रिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 02/05/2022 को सायं 04:00 बजे तक योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ1-118/2012/38-1, भोपाल, दिनांक 28/11/2017 के अनुपालन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु मूल विषयों के सह विषयों (Allied Subject) में स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को भी विज्ञापित किसी एक विषय में आवेदन करने हेतु उनके शैक्षणिक अर्हता को मान्य किया जाता है। सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उतीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन एवं सह विषयों (Allied Subject) से संबंधित विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट : www.rdunijbp.in.org में अवलोकित किया जाता सकता है। यथा:-


क्र	विभाग का नाम	प्रोफेसर (रिक्त पद-)	एसोसिएट प्रोफेसर (रिक्त पद-)	असिस्टेंट प्रोफेसर (रिक्त पद-)
		अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
1	ए.आई.एच.सी.ए.(प्रा. भा. इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व)	01	01	01
2.	जीव विज्ञान	—	02	—
3.	रसायन शास्त्र	02	03	02
4.	कम्प्यूटर साइंस	—	01	01
5.	अर्थशास्त्र	01	01	01
6.	अंग्रेजी	01	—	—
7.	हिन्दी	—	02	03
8.	इतिहास	01	01	—
9.	विधि विभाग	01	—	—
10.	एम.बी.ए.	—	02	01
11.	गणित	01	02	—
12.	दर्शन शास्त्र	01	01	—
13.	भौतिक शास्त्र	01	03	—
14.	राजनीति शास्त्र	01	01	—
15.	संस्कृत पाली एवं प्राकृत	—	02	02
16.	समाज शास्त्र	01	01	01
17.	सिस्टम साइंस	01	—	—


नोट- उपरोक्त पदों के लिये निर्धारित अर्हता यू.जी.सी. रैग्यूलेशन 2018 एवं मध्यप्रदेश शासन के अनुसार मान्य होगा।

अन्य शर्त :-

1. आवेदन पद कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु. 300/- जमा कर प्राप्त करें। डॉक द्वारा आवेदन पत्र मंगाये जाने पर 350/- की राशि का बैंक ड्राफ्ट "कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर" के नाम भेजना होगा।

2. अनारक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को 1000/- की राशि का बैंक ड्राफ्ट "कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर" के नाम पर देय होगा, संलग्न करना आवश्यक है।
3. मध्यप्रदेश के महिला उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जावेगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
4. दिनांक 26/01/2006 के बाद जिस आवेदक की दो से अधिक संताने होंगी वह नियुक्ति हेतु अपात्र होगा। संतानों की जानकारी शपथ पत्र के साथ देनी होगी।
5. दो पासपोर्ट साइज के अद्यतन छायाचित्र लगे हों। समस्त प्रमाण-पत्र एवं छायाचित्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है एवं लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक दिनांक तथा आवेदित पद का उल्लेख करना अनिवार्य है।
6. यदि किसी आवेदक के विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हो या पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो, तो इसका पूर्ण विवरण एवं माननीय न्यायालयचीन निर्णय की जानकारी शपथ-पत्र में देना अनिवार्य होगी।
7. चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
8. विभागीय कर्मचारी यदि निर्धारित पात्रता रखते हैं तो वे अपने विभागीय अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
9. निःशक्तजनों के लिये मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जावेगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी अर्हता को तभी मान्य किया जा सकेगा, जब उक्त संदर्भ के स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न हो।
11. साक्षात्कार की सूचना आवेदक को उसके पत्र व्यवहार के पते पर प्रेषित की जावेगी। साक्षात्कार के लिये आने-जाने का TA/DA का भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. उम्मीदवार द्वारा API स्कोर से संबंधित दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।


सहायक कुलसचिव (स्था)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर


कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर
31/05/22